दिनांकः 03–11–2017 को उत्तराखण्ड राजस्व संहिता एवं नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति निम्नवत् हैः–

1–श्री रामजीशरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
2–श्रीमती विप्रा त्रिवेदी, उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था), राजस्व परिषद्।
3–श्रीमती सोनिया पन्त, प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्य0), राजस्व परिषद्।
4–श्री जगदीशचन्द्र काण्डपाल, अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5–श्री राजेन्द्र पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), नैनीताल।
6–श्री महेशचन्द्र सुयाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), नैनीताल।
7–श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, जिला शासकीय अधिवक्त (राजस्व), पौड़ी।
8–श्री सुखपाल सिंह, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), हरिद्वार।
9– श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्त (राजस्व), देहरादून।
10–श्री स्वतंत्र बहादुर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), उधमसिंहनगर।
11–डा0 अभिषेक त्रिपाठी, उप निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।

सर्व प्रथम आयुक्त एवं सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए पिछली बैठक दिनांकः 18–08–2017 में लिए गए निर्णयों एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता एवं नियमावली तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों से संबंधित सदस्यों को सौंपे गये कार्यों की प्रगति की जानकारी चाही गई।

2. समिति के सदस्यों में श्री बी0 एल0 फिरमाल, अपर जिलाधिकारी, नैनीताल के स्थान पर जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्याः–250/15–एजेए/2017, दिनांकः 24 अक्टूबर, 2017 के द्वारा राजेन्द्र पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता, नैनीताल को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया गया है। बैठक में यह तय किया गया कि श्री बी0एल0 फिरमाल पिछली बैठक में भी उपस्थित नहीं थे और इस बैठक में भी वह उपस्थित नहीं हैं। अतएव श्री बी0एल0 फिरमाल के स्थान पर श्री संजय कुमार, अपर आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल एवं श्री राजेन्द्र पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को समिति का सदस्य नामित कर लिया जाये तथा श्री बी0एल0 फिरमाल, अपर जिलाधिकारी/समिति के सदस्य को उ0प्र0 राजस्व संहिता एवं नियमावली तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों से संबंधित आवंटित कार्य उन्हें सौंप दिए जायें ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। श्री संजय कुमार, अपर आयुक्त, श्री राजेन्द्र पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता को उत्तराखण्ड राजस्व संहिता एवं नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

3. समिति के सदस्यों में श्री मन मोहन सिंह रावत, अधिशासी निदेशक, शुगर मिल डोईवाला, देहरादून उपस्थित नहीं हुए। श्री रावत को आवंटित कार्यो की प्रगति से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

4. समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सौंपे गये अधिनियमों एवं सुसंगत धाराओं का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिस हेतु

Scanned by CamScanner

उन्हें लगभग दो माह का समय दिया जाये। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्यगण आवंटित अधिनियमों/धाराओं के संबंध में ड्राफ्ट तैयार कर 31 दिसम्बर, 2017 तक ई–मेल boardofrevenue-uk@gov.in/crc.ddn99@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। राजस्व संहिता का ड्राफ्ट इस प्रकार बनाया जाये, जिसमें सभी सुसंगत अधिनियमों, ऐक्ट एवं नियमों का समावेश हो। जो धारायें आवंटित हैं, को ड्राफ्ट में सम्मिलित करना है अथवा उन्हें हटाना है, के संबंध में भी स्पष्ट सुझाव दें। सुझावों को एक दूसरे सदस्यों को भी हस्तगत कर उनकी राय भी प्राप्त की जायेगी।

5. आयुक्त एवं सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को इस महत्वपूर्ण उद्धेश्य से अवगत कराते हुए पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में भूमि एवं राजस्व प्रशासन से संबंधित विभिन्न अधिनियम होने तथा कतिपय अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य के लिए प्रासंगिक न होने से इन अधिनियमों को समाप्त कर इनके स्थान पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपयोगी हो, का समावेश करते हुए पृथक संहिता/नियमावली का प्रख्यापन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतएव संहिता एवं नियमावली का प्रारूप तैयार करते समय प्रचलित अधिनियमों को भी संज्ञान में लिया जाय। वर्तमान प्रचलित अधिनियमों की जिस धारा को विलोपित किया जाना हो अथवा संशोधन किया जाना हो या नई धारा को सम्मिलित किया जाना हो, का ठोस आधार लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाये।

अंत में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों से दिनांकः–18–08–2017 की बैठक एवं आज दिनांकः 03–11–2017 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही करने की अपेक्षा के साथ बैठक का विसर्जन किया गया।

ह0

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 5045 /6–162/रा0प0, (2017–18), दिनांकः 09 नवम्बर, 2017।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समिति के उपरोक्त सभी सदस्यगण/अधिकारीगण।

(विप्रा त्रिवेदी)
उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0)
राजस्व परिषद

Scanned by CamScanner